सीटू मजदूर

सी. आई. टी. यू. का मासिक मुखपत्र

वर्ष १ अंक १ | जनवरी १९७९ | पचास पैसे

मजदूर वर्ग में क्रांतिकारी नीतियों के प्रचार के लिए एक और कदम

—बी टी रणदिवे

हिन्दी भाषी क्षेत्रों में एक अरसे से इस बात की जरूरत महसूस की जा रही थी कि सीटू की एक ऐसी पत्रिका हो जो सीटू की नीतियों का प्रचार करे और सीटू की गतिविधियों के बारे में समाचार प्रकाशित करे. 'सीटू मजदूर' का प्रकाशन इस जरूरत को पूरी करेगा. सीटू यूनियनें काफी समय से ऐसी एक पत्रिका की मांग कर रही थीं, और इसको जल्दी से जल्दी प्रकाशित करने का फैसला भी किया गया था.

हमारी संस्था द्वारा इस पत्रिका का प्रकाशन मजदूरों में अपनी क्रांतिकारी नीतियों का प्रचार करने के लिए एक और कदम है, मैं इसे अपनी शुभकामनाएं देता हूं. 'सीटू मजदूर' ट्रेड यूनियन आंदोलन की एकता के लिए संघर्ष करेगा और मजदूर वर्ग, जिस पर अब हमलें हो रहे हैं, के हितों की रक्षा करेगा. सीटू की नीतियों के अनुसार यह मजदूरों, जनता और राष्ट्र के सीधे हितों पर असर डालने वाली आर्थिक नीतियों के खिलाफ संघर्ष करने के लिए मजदूरों को शिक्षा देगा.

पिछले चुनाव के दौरान तानाशाही ताकतों की चुनौती को करारी हार देने में हिन्दी भाषी क्षेत्रों के मजदूर वर्ग ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की. इस भूमिका को और मजबूत बनाने और जनवादी स्वतंत्रता व ट्रेड यूनियनों की स्वतंत्रताओं की रक्षा करने और संघर्ष में दूसरी वामपंथी व जनवादी ताकतों को अपने साथ एकजुट करने में 'सीटू मजदूर' मदद करेगा.

औद्योगिक सम्बन्ध विधेयक, भूतालिंगम रिपोर्ट व वेतन-जाम जैसे जनता सरकार के मजदूर-वर्ग विरोधी कदमों के खिलाफ मजदूर-वर्ग एकजुट होकर लड़ता रहा है. इस लड़ाई को और शक्तिशाली बनाने के लिए यह मजदूरों के सभी वर्गों की सहायता करेगा.

और इसमें कोई शक नहीं कि 'सीटू मजदूर' मजदूरों व किसानों की एकता के लिए काम करेगा और मजदूरों को समाजवाद, जो अकेले इस देश में गरीबी और बेरोजगारी मिटा सकता है, के आधार पर शिक्षा देगा.

मजदूर वर्ग विरोधी नीतियों के खिलाफ ट्रेड यूनियन आंदोलन की एकता जरूरी

जनता सरकार ने भी मजदूर वर्ग विरोधी नीतियां अपनाईं

नई दिल्ली में २१-२२ नवम्बर १९७८ को हुई सीटू की महासभा की बैठक में सीटू अध्यक्ष कामरेड बी टी रणदिवे के भाषण के कुछ अंश

महासभा की बैठक के शुरू में कामरेड रणदिवे ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की. शहीद केदार पांडे का जिक्र करते हुए, जिनको धनबाद में छुरा घोंप कर मार डाला गया था, उन्होंने कहा कि सीटू इस बात को मानती है कि इसकी ताकत और प्रभाव कामरेड केदार जैसे बहादुर कामरेडों के त्याग और खून से बना है, सीटू उस झंडे को, जिसकी हमारे शहीद कामरेडों ने इतनी बहादुरी और दिलेरी के साथ रक्षा की, सदा ऊंचा रखने के लिए दृढ़ संकल्प है.

पश्चिमी बंगाल के मजदूर-वर्ग व जनता पर प्रकृति द्वारा किए गए भयानक आक्रमण जिसमें डेढ़ करोड़ लोग विनाशकारी बाढ़ के शिकार हुए, का डटकर मुकाबला करने वाली जनता की प्रशंसा करते हुए कामरेड रणदिवे ने कहा कि दूसरों को डूबने से बचाने के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया."

मजदूर वर्ग को पश्चिमी बंगाल में अपने भाइयों के पुनर्वास के विशाल काम में पूरी सहायता देने का आह्वान करते हुए, उन्होंने कहा कि इस बात को सब कारखानों, सारे शहरों और सभी राज्यों में पहुंचाओ कि वे पश्चिमी बंगाल के लिए कम से कम एक दिन का वेतन दें. हमारी यूनियनें इसकी शुरूआत करें, समूची जनता से अपील करें, धन इकट्ठा करें और कपड़े जुटाएं. प्रकृति की बाढ़ द्वारा किए गए विनाश का मुकाबला करने के लिए पश्चिमी बंगाल में सहायता की बाढ़ आए.

जनता की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए किस प्रकार जनता पार्टी सरकार कांग्रेस की तरह गैर-जनवादी व मजदूर-वर्ग विरोधी नीतियाँ अपना रही है, कि कई राज्यों में हड़ताली मजदूरों पर बर्बरता से की गई गोलीबारी की ट्रेड यूनियन आन्दोलन ने सार्वजनिक निंदा की है. हर हड़ताल में नेताओं और मजदूरों के खिलाफ फौजदारी के मुकदमे चलाए जाते हैं. ट्रेड यूनियन आन्दोलन को भयभीत करने और उसके दैनिक कामकाज को रोकने के लिए सैकड़ों मजदूरों को ऐसे झूंठे मामलों में फांसा जाता है. इसके अलावा जनता राज के तहत पूंजीपतियों के किराए के समाज-विरोधी तत्वों से भरपूर निजी फौजें मजदूरों के खिलाफ मोर्चा ले रही रही हैं. इससे जाहिर है कि ये 'नौकरियों के देने वाले' मजदूरों पर हमला करने के लिए निजी फौज को रखने की गैर-कानूनी ताकतें पाने की जबरदस्त मांग कर रहे हैं. उन्होंने सभी ट्रेड यूनियन केन्द्रों से अपील की कि इस खतरे के खिलाफ एकजुट होकर काम

बंगाल की पूरी सहायता करो

उनका जीवित रहने और प्रकृति के बर्बर अत्याचार का सफाया करने की लगन व सर्वश्रेष्ठ साहस ही है जिसने उनको तीन सप्ताह की लगातार वर्षा और बाढ़ की प्रतिहिंसक परीक्षा में सफलता पाने के लायक बनाया. यह वही वीरता है जिसने अर्द्ध-फासी आतंक के हमले, जमींदारों के जुल्म और पूंजीपतियों के किराये के गुडों के हमलों का डटकर मुकाबला किया था और हाल ही में जल्लादों को जबरदस्त पीड़ाजनक हार दी थी.

बाढ़ के दौरान पीड़ित लोगों की सहायता पहुंचाने के महत्वपूर्ण काम के बारे में उन्होंने कहा कि यह हमारे आंदोलन की एकता और सहयोग की व जनता के साथ एकरूपता की सर्वोत्तम रीति थी. कामरेड रणदिवे ने कहा कि "मैं आपकी ओर से उन छः बहादुर कामरेडों को सलाम करता हूं जिन्होंने इसकी ओर इशारा करते हुए, कामरेड रणदिवे ने कहा कि जनता सरकार हर रोज अपनी नीतियों में मजदूर विरोधी झुकाव का प्रदर्शन कर रही है और हमारे आंदोलन को दबाने के लिए कदम उठा रही है. आंशिक वेतन के रूप में बोनस, एक मजदूर-वर्ग परिवार की न्यूनतम जरूरतों को पूरा करने के लिए उचित वेतन, अधिकतम और न्यूनतम आय के बीच के अन्तराल को १:२० तक लाने के वायदे या बुनियादी ट्रेड यूनियन अधिकारों के लिए दिये गए आश्वासन के बारे में सारी बातें आई-गई हो गई. चुनाव की मीठी बातें दमन, पुलिस गोली बारी, दफा-१४४ में बदल गई हैं— मौजूदा सरकार मजदूर-वर्ग के आंदोलन को केवल कानून और व्यवस्था की समस्या मान रही है.

बढ़ते हुए खतरे के बारे में मजदूर-वर्ग को चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा करें और हमारे मजदूरों के खिलाफ आतंकवादी कदमों को करारी हार दें.

जनता सरकार द्वारा केन्द्र और राज्यों में उठाए जा रहे गैर-जनवादी कदमों की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि जनता राज्य सरकारें खुद मजदूरों के खिलाफ सीधे दमन के अलावा हड़तालों पर पाबन्दी लगाने व मजदूरों की लडाई को छिन्नभिन्न करने के लिए अध्यादेश जारी कर रही हैं. केन्द्रीय सरकार ने ग्लेक्सो (बहुदेशीय) के डाइरेक्टर भूतालिंगम की अध्यक्षता में वेतन व आय समिति नियुक्त करके एक षडयन्त्र खड़ा किया है. और अब इसने लोकसभा में औद्योगिक सम्बंध विधेयक पेश कर दिया है जिसका समूचे ट्रेड आंदोलन ने विरोध किया और उसे अस्वीकार कर दिया है यह एक ऐसा घातक कानून है जिसे केवल मजदूर-वर्ग

[शेष पृष्ठ चार पर]

हरियाणा रंग उद्योग, बहालगढ़

लड़ाई संगठन के अधिकार की है

हरियाणा रंग उद्योग व इडको डाइज एवं केमिकल्स, बहालगढ़ (हरियाणा) के मजदूरों की बस्ती १२ फरवरी १९७८ को गोलियों की ठांय-ठांय से कांप उठी. यूनियन के सेक्रेटरी कामरेड शिवचरण को गोली मार दी गई. उनकी ७५ वर्षीय बूढ़ी दादीमां की जांघ पर गोली लगी. पूरी बस्ती में आतंक फैल गया. यह मजदूर बस्ती पर हरियाणा रंग उद्योग के मालिकों के हथियार-बंद गुण्डों का कातिलाना हमला था. बस्ती का हर घर अंधाधुंध बरसाई जाने वाली गोलियों की चपेट में था. मजदूरों को ही नही, उनकी औरतों और बच्चों को भी बेरहमी से पीटा गया. उनके घरों का सामान लूट लिया गया.

प्रबंधकों के इस बर्बर हमले के शिकार हरियाणा रंग उद्योग के ये मजदूर अभी अपने घायल साथियों को ठीक से संभाल भी नहीं पाए थे कि पुलिस दमन आरंभ हो गया. प्रबंधकों को गिरफ्तार करने की बजाए हरियाणा पुलिस ने मजदूरों और उनके नेताओं की धरपकड़ शुरू कर दी. आज भी ८५ मजदूरों पर कत्ल के झूठे मुकदमें चल रहे हैं. दूसरी तरफ कामरेड शिवचरण की हत्या करने और मजदूर बस्ती पर हमला करने के असली अपराधी हरियाणा रंग उद्योग के मालिक आज भी मजदूरों पर जुल्म ढाने के लिए आजाद हैं. पुलिस उनके इशारों पर नाचती है. हरियाणा की 'जनता' सरकार 'निष्पक्ष' है, इसलिए खामोश है.

यह सब क्यों ? इसलिए नहीं कि मजदूरों ने कोई मांग-पत्र प्रबंधकों को देकर वेतन बढ़ाए जाने की मांग की हो या अन्य किसी सुविधा की. उनकी तो कोई यूनियन ही नहीं थी. प्रबंधक मजदूरों के साथ गुलामों और जानवरों जैसा बर्ताव करते थे. भारत सरकार द्वारा बनाया गया कोई भी श्रम कानून या दुनिया का कोई भी कानून-कायदा हरियाणा रंग उद्योग में लागू नहीं होता था, प्रबंधकों की इच्छा ही कानून थी. मजदूरों से मनमाना काम लिया जाता था. यहां तक कि उन्हें कमरे में बन्द करके पीटा जाता था. फैक्ट्री के तमाम मजदूर बुरी तरह आतंकित रहते थे.

कुछेक साहसी मजदूरों ने प्रबंधकों के इस जुल्म के खिलाफ लड़ने के लिए मजदूरों को संगठित किया और फैक्ट्री गेट पर सीटू का झंडा लगा कर यूनियन बन जाने की घोषणा करते हुए जानवरों की सी जिन्दगी जीने से इंकार कर दिया और मनुष्य की तरह जीने के अपने मानवाधिकार की मांग बुलंद की.

प्रबंधकों को मजदूरों का यूनियन बनाना अच्छा नहीं लगा. उन्होंने झंडा फाड़कर फेंक दिया और यूनियन के पदाधिकारियों को बर्खास्त कर दिया. इसके प्रतिरोध में मजदूरों ने काम बंद कर दिया और दुबारा झंडा फहरा कर घोषणा की कि यूनियन बनाना हमारा मौलिक अधिकार है. संगठन बनाने का अपना अधिकार हम लेकर रहेंगे. साथ ही उन्होंने निकाले गए मजदूरों को बहाल करने की मांग की. इस तरह २२ अगस्त १९७७ को आरम्भ हुई इस हड़ताल को तोड़ने और मजदूरों को सबक सिखाकर फिर गुलामी की जिन्दगी जीने पर मजबूर कर देने के लिए ही प्रबन्धकों ने अपने पेशेवर गुंडों से १२ फरवरी १९७८ को मजदूर बस्ती पर वह हमला करवाया जिसका जिक्र ऊपर किया गया है और जिसमें यूनियन के सेक्रेटरी कामरेड शिवचरण शहीद हुए.

लेकिन प्रबंधकों के गुंडों और पुलिस के इतने जुल्म और आतंक के बावजूद मजदूरों के संघर्ष को तोड़ा नहीं जा सका. फैक्ट्री के ४५० के लगभग मजदूर आज भी हड़ताल पर हैं. अनेकों की नौकरी बर्खास्त की जा चुकी है. कत्ल के झूठे मुकदमें ८५ मजदूरों पर चल रहे हैं. मजदूरों का मनोबल तोड़ने के लिए प्रबन्धकों ने नए मजदूरों की भर्ती करके फैक्ट्री चलाना आरंभ किया. ये नए मजदूर गांवों के वे बेरोजगार लोग थे जिन्हें हरियाणा के तत्कालीन श्रम मंत्री मलिक ने नौकरी दिलाने का लालच देकर हरियाणा रंग उद्योग में भेजा था. असली बात का पता चलने पर इनमें से बहुत से 'नौकरी' छोड़कर चले गए, फिर नए मजदूर आए. नए मजदूरों के आने और जाने का यह सिलसिला लगातार चल रहा है. लेकिन इससे भी हड़ताली मजदूरों का मनोबल तोड़ा नहीं जा सका.

हरियाणा रंग उद्योग के मजदूरों का यह अभूतपूर्व संग्राम संगठन बनाने के बुनियादी अधिकार की एक ऐसी लड़ाई है जिसने पूरे सोनीपत जिले के मजदूरों की चेतना को झकझोर कर रख दिया है और उनमें आपसी भाईचारे की क्रांतिकारी भावना पैदा कर दी है. सोनीपत जिले के मजदूर हरियाणा रंग उद्योग के मजदूरों की हिमायत में मैदान में उतर आए और जगह-जगह प्रतिरोध सभाएं करने लगे. मुरथल (शहीद कामरेड शिवचरण का गांव) में सोनीपत सीटू कमेटी की तरफ से एक जनसभा की गई जिसे सीटू के अनेक नेताओं सहित लोक सभा सदस्या कामरेड अहिल्या रांगनेकर ने सम्बोधित किया. सोनीपत जिले के मजदूरों ने कामरेड शिवचरण के बच्चों की सहायता के लिए ५००० रुपये इकट्ठा किया. दिल्ली सीटू सेन्टर ने उनके बच्चों के भरण-पोषण के लिए एक भैंस खरीद कर दी. पानीपत सीटू कमेटी ने एक सिलाई की मशीन दी. इस सभा में ये तमाम चीजें कामरेड अहिल्या रांगनेकर ने कामरेड शिवचरण की विधवा को भेंट दी.

सोनीपत सीटू कमेटी की तरफ से बहालगढ़ में १० दिसम्बर १९७८ को

[शेष पृष्ठ सोलह पर]

[पृष्ठ दो से आगे]

के दुश्मनों द्वारा ही सोचा जा सकता है. यह पूंजीपतियों के हाथों मजदूरों के हाथ व पांव बांध देगा और सीधे संघर्ष के अधिकार छीन लेगा तथा उन पर जबरन मध्यस्थता थोपेगा.

उन्होंने तमिलनाडु सरकार की मजदूरों के संघर्ष को कुचलने की नीति और खास तौर पर २५ अक्तूबर को संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर बंद से सम्बंधित जबरदस्त गिरफ्तारियों व विक्टिमाइजेशनों की निंदा की. तमिलनाडु के मुख्य मन्त्री की तमिलनाडु में तीन महीने के अन्दर हड़तालें खत्म करने के लिए दिए गए वक्तव्य पर आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि इससे आपात् काल के दौरान अधिकारवादी व तानाशाही के घमण्ड की याद आती है उन्होंने कहा कि मुख्य मंत्री एम जी रामचन्द्रन कांग्रेस के अतीत व जनता के वर्तमान दोनों के पदचिन्हों पर चल रहे हैं.

कामरेड रणदिवे ने देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी की चर्चा करते हुए ट्रेड यूनियन आंदोलन को चेतावनी दी कि जब तक बेरोजगारों को संगठित नहीं किया जाता और उनके संघर्ष को कर्मचारियों व मजदूरों के संघर्ष के साथ नहीं जोड़ा जाता तब तक किसी तरह की तोड़ फोड़ का परिणाम ट्रेड यूनियन आंदोलन के लिए हानिकारक होगा. यह जाहिर है कि बेरोजगारी की समस्या भूमि व पूंजी की मलकियत में कोई बुनियादी फर्क लाए बिना हल नहीं की जा सकती. पिछली कांग्रेस सरकार की तरह मौजूदा जनता सरकार ऐसा नहीं करेगी. बेरोजगारी की समस्या इतनी भयानक हो गई है कि जनता सरकार इसे खत्म करने के लिए कदम उठाने की बजाय मजदूर वर्ग व दलितों की एकता को छिन्न-भिन्न करने व जनता के एक वर्ग को दूसरे के खिलाफ लड़ाने के लिए कदम उठा रही है.

बहुदेशीय कम्पनियों द्वारा घातक हमला

भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुदेशीय कम्पनियों के बढ़ते प्रभाव का जिक्र करते हुए कामरेड रणदिवे ने कहा कि इन कुछ सालों में बहुदेशीय कम्पनियों की ट्रेड यूनियनों पर बेशर्मी के साथ, सरकारी शक्तियों का उल्लंघन करते हुए भी, हमला करने में सरकारी नीतियों से ही बल मिला हैं. उन्होंने ग्लेक्सो, रैली, सुहरिदगाइगी आदि जैसी बहुदेशीय औषध कम्पनियों में बहुत अधिक मात्रा में नेताओं और कार्यकर्त्ताओं के किए गए विक्टिमाइजेशन के उदाहरण दिए. कांग्रेस सरकार की तरह जनता सरकार द्वारा बहुदेशीय कम्पनियों को खुश किए जाने की नीतियों के कारण ही ये कम्पनियां ऐसा कर पा रही हैं.

कांग्रेस सरकार के पिछले तीस सालों के शासन में देश की अर्थव्यवस्था विदेशी सहायता व पश्चिमी मार्किट के अधीन हो गई है. इसी कारण विश्व बैंक और अमरीका भारतीय सरकार को उन द्वारा बनाई गई नीतियां लागू करने के लिए मजबूर करने के लायक हुए हैं. इसके बारे में बताते हुए कामरेड रणदिवे ने कहा कि बुरी तरह बिगड़ती अर्थव्यवस्था के समय विश्व बैंक द्वारा मजबूर की गई जनता सरकार के दरवाजे बहुदेशीय कम्पनियों के लिए खुले हैं. इसीलिए बहुदेशीय औषध कम्पनियों को विक्टिमाइजेशन करने में इतना साहस हुआ है.

बहुदेशीय कम्पनियों के खिलाफ लड़ाई की समस्या आज विश्व ट्रेड यूनियन आंदोलन के सामने है. इसकी ओर संकेत करते हुए कामरेड रणदिवे ने कहा कि हम अपने आंदोलन और अपने देश की रक्षा तब तक नहीं कर सकते जब तक हम इस खतरे पर अपने निशाने केन्द्रित न कर दें और उन द्वारा शोषण व हमारी अर्थव्यवस्था पर हावी होने की कोशिशों के तुरन्त खात्मा की मांग न करें.

बहुदेशीय कम्पनियों व उनके भारतीय साझेदारों के अत्याचारों का मुकाबला करने के लिए ट्रेड यूनियन आंदोलन की शक्ति और एकजुट कार्यक्रमों की मांग लगातार बढ़ रही है. इसका जिक्र करते हुए कामरेड रणदिवे ने कहा कि इन सब हमलों और अत्याचारों की परवाह किए बिना हमारे आंदोलन की ताकत व इस द्वारा विरोध लगातार बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि मजदूर वर्ग के हड़ताली कार्यक्रमों द्वारा अधिक से अधिक शक्ति के साथ इनके खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही है. हमारे आंदोलन को भी कई उद्योगों में जबरदस्त सफलता मिली है. मजदूर और कर्मचारी दोनों ही ने मालिकों के खिलाफ लड़कर कई एक मामलों में अपने वेतनों में बढ़ौतरी पा ली है, परन्तु सभी के लिए बोनस और बोनस के आंशिक वेतन के रूप में माने जाने का प्रश्न अभी तय होना बाकी है. उन्होंने कहा कि कुछ मंत्रियों की ललचाने वाली बातों की परवाह किए बिना हमारे आंदोलन की केवल मजबूत एकता ही हमें अपने मकसद तक पहुंचने के काबिल बनाएगी.

सीटू के अध्यक्ष कामरेड रणदिवे ने बताया कि सीटू ने मजदूरों के जरूरत के आधार पर वेतन के अधिकार, औद्योगिक सम्बन्ध विधेयक, भूतालिंगम समिति की सिफारिशों, सार्वजनिक क्षेत्रों के कर्मचारियों के संघर्ष जैसे महत्वपूर्ण मामलों में सभी ट्रेड यूनियनों को एकजुट करने की सफल कोशिश की. ये कोशिशें इसलिए सफल हुई क्योंकि हाल ही में हुए सम्मेलनों में भाग लेने वाले खुद भी एकता के लिए उत्सुक व तैयार थे. यह इसका सबूत है कि सभी संगठन अपने भिन्न भिन्न राजनीतिक सम्बन्धों के बावजूद एकजुट ट्रेड यूनियन आंदोलन की जरूरत को महसूस करते हैं. उन्होंने कहा कि मुझे इस पर जोर देने की

[शेष पृष्ठ चौदह पर]

इस्पात मजदूर संघर्ष की राह पर

ढाई लाख इस्पात मजदूरों ने वेतन वृद्धि, महंगाई भत्ता, शिक्षा, आवास व चिकित्सा सुविधाओं व ठेकेदारी मजदूर प्रथा खत्म करने की और अन्य मांगों सहित एक मांग-पत्र अपने प्रबन्धकों को दिया था. जिसके लिए वे एक अरसे से संघर्ष कर रहे थे. इस मामले को लेकर एक समझौता ३१ अगस्त १९७८ तक के लिए हुआ था. इससे पहले दूसरी समझौता वार्ता होकर उसकी सिफारिशें एक सितम्बर १९७८ से लागू होनी चाहिए थी.

परन्तु प्रबंधकों ने इसकी बजाए कुछ प्रस्ताव रखे जिसमें उन्होंने मूलवेतन में १० रुपये, महंगाई भत्ते में १० रुपये और ५ रुपये नये वेतनमान देने में सुविधा के रूप में वृद्धि शामिल है. इससे मूल वेतन रु० ३५० तथा कुल वेतन रु० ४५७.४० हो जाती है. वार्षिक वृद्धि की दर में भी एक रुपये की बढ़ौतरी का प्रस्ताव रखा गया. इसके अतिरिक्त प्रबन्धकों का कहना है कि वे आगामी चार सालों में २० से २५ हजार मकान बनवाएंगे. शिक्षा और चिकित्सा सुविधाओं में भी थोड़ा सा परिवर्तन करने की भी बात कही गई.

सभी ट्रेड यूनियनों ने इन प्रस्तावों को आगामी समझौता वार्ता के लिए बुनियाद मानने से इंकार कर दिया. ट्रेड यूनियनों की रु० ६६० की न्यूनतम कुल वेतन की मांग है. संयुक्त समिति (एन जे सी सी) की इस बारे में पिछली बैठक में प्रबंधकों के नुमाइंदों ने बहुत ही अड़ियल रवैया अपनाया. हालांकि भारतीय इस्पात प्राधिकरण के अध्यक्ष ने प्रबन्धकों के नुमाइंदों को इस्पात मजदूरों की मांगों का ३१ दिसम्बर १९७८ तक फैसला करने का सुझाव दिया था परंतु इसके बावजूद उन्होंने बैठक में ठीक रवैया नहीं अपनाया. और न ही उन्होंने अपने मजदूर विरोधी रवैये को बदलने की कोशिश की. इसलिए अभी तक कोई हल सामने नहीं आया है. संयुक्त समिति की आगामी बैठक १५ जनवरी को होगी.

समझौता-वार्ता में इस प्रकार रुकावट आ जाने से इस्पात कर्मचारी यूनियनों के पास संघर्ष के सिवाए और कोई रास्ता नहीं रहा. इसके लिए देश के इस्पात उद्योग के सभी मजदूरों की एकता कायम करने की अहमियत को ध्यान में रखते हुए १६ और १७ दिसम्बर १९७८ को जमशेदपुर में एक सम्मेलन आयोजित किया गया. इस अखिल भारतीय इस्पात मजदूर सम्मेलन में देश की विभिन्न यूनियनों के २३० प्रतिनिधियों ने भाग लिया.

टिस्को कर्मचारी यूनियन की ओर से कामरेड त्रिपाठी ने प्रतिनिधियों का स्वागत किया. उन्होंने टाटा जैसे बड़े सरमायेदारों की मजदूरों को आपस में जाति-भेद के नाम पर लड़वाने व उनके शोषण की नीति का पर्दाफाश किया. उन्होंने अपनी मांगों के लिए एकजुट होकर संघर्ष करने का आह्वान किया.

सम्मेलन का उद्घाटन कामरेड एम के पंधे, सचिव, सीटू, ने किया. उन्होंने अपने भाषण में कहा कि इस्पात मजदूरों को अपनी मांगों को मनवाने के लिए सीधी कार्यवाही करनी होगी. इस बारे में उन्होंने बताया कि सरकार पर्दे के पीछे से किस प्रकार इस्पात मजदूरों पर भूतालिंगम रिपोर्ट की सिफारिशों और ब्यूरो आफ पब्लिक एन्टरप्राइजेज के आदेशों को लागू करने की असफल कोशिशें कर रही है. इसके अतिरिक्त सरकार द्विपक्षीय समझौता-वार्ता में हस्तक्षेप न करने के वायदे से भी पीछे हट रही है. कामरेड पंधे ने चेतावनी दी कि यदि मजदूर एकजुट होने और आंदोलन शुरू करने में असफल होते हैं तो संयुक्त समिति छः महीने में भी कोई समझौता नहीं कर पाएगी.

एटक के प्रतिनिधि ने सम्मेलन की पूरी कामयाबी की कामना की और इस्पात उद्योग में किसी भी एकजुट आंदोलन का समर्थन करने के लिए आश्वासन दिया. इस सम्मेलन में लगभग ४० वक्ताओं ने अपने विचार रखे जिन्होंने अपने-अपने इलाकों में चल रहे इस्पात मजदूरों के संघर्ष के बारे में बताया. इन वक्ताओं में कामरेड अर्धेन्धु दक्षी, का. दिलीप मजुमदार, का. जीवन राय, का. मृणाल बनर्जी, का. बामापद मुकर्जी, व का. चंडी प्रसाद शामिल हैं.

सम्मेलन ने ३१ सदस्यीय अखिल भारतीय इस्पात मजदूर कोआर्डिनेशन समिति बनाने का फैसला किया. सम्मेलन ने अपने आंदोलन की शुरुआत के लिए ९ से १५ जनवरी १९७९ तक एक मांग सप्ताह मनाने का भी फैसला किया. इस सप्ताह के दौरान सभी इस्पात कारखानों खदानों और दफ्तरों में प्रदर्शन किए जाएंगे.

अन्त में कामरेड बी टी रणदिवे अध्यक्ष, सीटू, ने भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन में सीटू के योगदान पर प्रकाश डाला और कहा कि अब देश में ट्रेड यूनियन आंदोलन का मार्गदर्शन सीटू ही करती है. उन्होंने ट्रेड यूनियन आंदोलन की एकता पर जोर देते हुए कहा कि मजदूरों को जरूरतों के अनुसार न्यूनतम वेतन के लिए अवश्य संघर्ष करना चाहिए, इसके अलावा मुनाफे के आधार पर वेतन के लिए भी संघर्ष करना चाहिए. कामरेड रणदिवे ने बताया कि 'काम का अधिकार' संविधान में होना चाहिए था. कामरेड रणदिवे ने जोर देकर कहा कि अपने अधिकारों की रक्षा करने और अपनी कामयाबियों को आगे बढ़ाने के लिए मजदूर वर्ग को वामपंथी और जनवादी आंदोलन की ताकत बढ़ाने और उसको बढ़ावा देने के लिए संघर्ष करना चाहिए.

इस सम्मेलन में तेरह प्रस्ताव पारित किए गए. इनमें मांग सप्ताह मनाने, इंजीनियरी और चटकल मजदूरों की हड़ताल का समर्थन करने, ठेकेदारी मजदूर प्रथा खत्म करने, औद्योगिक संबंध विधेयक वापस लेने और अन्य एकता प्रस्ताव शामिल हैं. एक प्रस्ताव में सम्मेलन ने काल्टा खदानों के निकाले गए मजदूरों को वापस नौकरी पर लेने की मांग की. सम्मेलन का एक खुला अधिवेशन बारी मैदान में हुआ जिसमें हजारों मजदूरों ने भाग लिया.

गैर-कानूनी हड़ताल तालाबंदी की घोषणा के लिए आधार नहीं हो सकती

मद्रास उच्च न्यायालय के एक फैसले के अनुसार तालाबन्दी की घोषणा केवल इस आधार पर नहीं की जा सकती कि मजदूरों ने काम पर आना बन्द कर दिया है. प्रबंधक केवल तब ही तालाबन्दी कर सकते हैं जब उसे इस बात का डर हो कि मजदूरों को काम पर आने की इजाजत देने से उसकी मशीनों को कोई नुकसान या हिंसात्मक घटनाएं हो सकती हैं.

यह फैसला मद्रास उच्च न्यायालय ने उस केस में किया जिसमें हाइवेज ग्रुप आफ एस्टेट ने यह आरोप लगाया था कि मजदूरों ने टोकरियों को पत्तों से भरने के लिए १ जनवरी १९७१ को मना कर दिया था जो कि उनके सामान्य काम का एक भाग था. प्रबंधकों द्वारा लगाए गए अनियमित मजदूरों को हड़ताली मजदूरों ने तंग किया. आम मजदूर हड़ताल पर गए और पत्तियां तोड़ने वाले मजदूरों ने 'धीरे काम करो' की नीति अपनाई या मनमर्जी के बागानों में जाकर पत्तियां तोड़ी. इससे मजबूर होकर प्रबंधकों ने १ जनवरी १९७१ को पत्तियां तोड़ने वाले विभाग में तालाबन्दी की घोषणा की. ११ जनवरी १९७१ को इस कम्पनी के सभी मजदूरों ने हड़ताल करदी, इसलिए प्रबधकों ने पूरी तालाबन्दी कर दी जो २१ जनवरी १९७१ तक लागू रही.

औद्योगिक ट्राइबुनल ने ९ जनवरी १९७१ को तालाबन्दी को जायज बताते हुए ११ जनवरी १९७१ की तालाबन्दी को गलत बतलाया था. इस फैसले को प्रबंधकों ने मद्रास उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी.

न्यायालय का कहना है कि इस मामले में पत्तियां तोड़ने वाले मजदूरों को छोड़कर आम मजदूरों और प्रबधकों में कोई खास झगड़ा नहीं था, और फिर अगर कोई हड़ताल गैर-कानूनी पाई जाती है तो मजदूरों को हड़ताल के दौरान का वेतन नहीं दिया जाता यह जानना जरूरी होता है कि तालाबन्दी के दिन कैसा वातावरण था. एस्टेट्स में सामान्य काम हो रहा था. पत्तियां तोड़ने वाले विभाग के अलावा दूसरे विभागों में तालाबन्दी करने का कारण केवल मजदूरो का हड़ताल पर जाना ही था. ऐसी तालाबन्दी को जायज नही ठहराया जा सकता.

(लेबर ला जरनल, वर्ष २, सितम्बर १९७७, पृष्ठ २५१-५४ के आधार पर)

सीटू की बैंक कर्मचारियों को बधाई

कामरेड बी टी रणदिवे, अध्यक्ष, सीटू, ने ३० दिसम्बर १९७८ को निम्नलिखित प्रेस-विज्ञप्ति जारी की :

सीटू देश के पांच लाख से भी अधिक बैंक कर्मचारियों की अपनी वेतन वृद्धि और काम व निर्वाह की हालतों में सुधार की मांगो को लेकर २८ और २९ दिसम्बर की उनकी एकजुट हड़ताल के लिए बधाई देती है.

बैंक प्रबन्धकों के साथ लम्बी समझौता वार्ता का प्रबन्धकों द्वारा उठाए गए कड़े रुख के कारण कोई नतीजा नहीं निकला है. वे रियायतों के लिए इन्कार इस तर्क पर कर रहे थे कि बैंक कर्मचारी उच्च वेतन पाने वालों में हैं. उन्होंने तो यहां तक कहा कि एक हद के बाद महंगाई भत्ता कम होता जाना चाहिए.

सीटू आशा करती है कि केन्द्रीय वित्त मंत्रालय और बैंक प्रबन्धक बैंक कर्मचारियों की दो दिन की हड़ताल द्वारा दिखाई गई जबरदस्त एकता को ध्यान में रखेंगे और बैंक कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ गम्भीरता से समझौता वार्ता शुरू करेंगे.

यदि अधिकारियों ने बैंक कर्मचारियों की मांगों के प्रति अड़ियल नजरिया जारी रखा तो सीटू बैंक कर्मचारियों को बैंक प्रबन्धकों के खिलाफ अपने संघर्ष को आगे बढ़ाने में पूरा समर्थन देने का आश्वासन देती है.

बंगाल के ढाई लाख चटकल मजदूरों की लगातार हड़ताल

चटकल मिल मालिकों के मजदूरों की मांगों के प्रति कड़े रवैये के कारण जनवरी के पहले सप्ताह में हुई समझौता वार्ता असफल हो गई. ट्रेड यूनियनों के फैसले के मुताबिक ५ जनवरी १९७९ से पूरे जूट उद्योग में मजदूर हड़ताल पर चले गए.

सीटू के अनुसार चटकल जैसे उद्योग में रोजगार सुरक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी वेतन वृद्धि. इसलिए सीटू और अन्य यूनियनों ने इस बात पर जोर दिया कि इस मुद्दे को भी संयुक्त-समिति को सौंपा जाए. समझौता वार्ता में मिल मालिक काम के भार पर तो बातचीत बिल्कुल ही नही करना चाहते थे. मालिकों का रवैया मजदूर वर्ग विरोधी रहा. जिसके कारण वार्ता असफल हो गई.

पश्चिमी बंगाल की वाम मोर्चा सरकार के श्रम मंत्री कामरेड कृष्णपदा घोष के अनुसार अब समझौता वार्ता मिल मालिकों द्वारा अपना रवैया बदलने के बाद ही शुरू होगी.

सीटू के अध्यक्ष कामरेड बी टी रणदिवे ने ५ जनवरी १९७९ को प्रेस के लिए निम्नलिखित वक्तव्य जारी किया :

भारतीय ट्रेड यूनियन केन्द्र (सीटू) की ओर से मैं पश्चिम बंगाल के ढाई लाख चटकल (पटसन) मजदूरों को अपनी जायज मांगों के लिए आज से लगातार हड़ताल करने के लिए बधाई देता हूं.

इस हड़ताल के लिए पूरी तरह से चटकल सामंत और आई जे एम ए जिम्मेवार हैं और पश्चिम बंगाल की वाम-मोर्चा सरकार की फैसला कराने की हर कोशिशों के प्रति उनके लापरवाही के रवैये की सीटू कड़ी आलोचना करती है.

सीटू चटकल मजदूरों की इस जबरदस्त एकता का स्वागत करती है और उनसे इस एकता को बनाए रखने व संघर्ष को मांगें माने जाने तक जारी रखने की अपील करती है.

कोयला उद्योग के मजदूरों का शानदार संघर्ष

ईस्टर्न कोलफील्ड के २५००० मजदूरों की रैली

देश के कोयला उद्योग के मजदूरों की सबसे बुरी हालत है. उनके लिए सुविधाएं जुटाने के लिए कोई ध्यान नहीं दिया जाता. एक झोंपड़ी में कई कई लोग रहते हैं. चिकित्सा की कोई सुविधा नही. और केवल नाम के लिए लाखों मजदूरों के परिवारों के लिए कुछ-एक स्कूल हैं. मजदूर-बस्तियों का वातावरण तो बिल्कुल खराब है. पानी की कमी, बिजली का अभाव, गन्दगी को साफ करने का प्रबन्ध नहीं, कोई सुविधा नहीं और ऊपर से मालिकों द्वारा मजदूरों का शोषण. इनका जीवन भी खतरे से खाली नहीं.

गैर-वैज्ञानिक ढंग से खदान का काम होता है, कई बार दुर्घटनाएं हुई हैं. जिनसे हजारों मजदूरों की जानें गई. खदान सुरक्षा के नियमों का पालन नहीं किया जाता. सैकड़ों हजारों मजदूर तरह तरह की बीमारियों के शिकार हैं. सरकार ने आज तक केवल १५% मजदूरों के लिए मकान बनाए उनमे से भी तीन-चौथाई ऐसी झुग्गियां हैं जो रहने के काबिल नही. प्रबन्धकों ने खुद इस बात को माना है कि केवल १५% लोगों के लिए पानी की सुविधा है, ८५% जनता को उनके भाग्य पर छोड़ दिया गया है. सरकार इन समस्याओं को हल करने के लिए बिल्कुल भी धन खर्च करना नहीं चाहती, हालाकि सरकार को कोल-खदान कल्याण कर और दूसरे करों के रूप में बहुत अधिक धन मिलता है.

कोयला उद्योग के हर विभाग में धाँधली मची है. सार्वजनिक सम्पति को काले-धन्धे द्वारा हड़प किया जा रहा है. अनेक गैर-कानूनी खदानें आज भी काम कर रही हैं. कोयले की बिक्री और स्टोर की चीजों की खरीद में हेराफेरियों व उत्पादन आदि में धाँधली से देश को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है.

मजदूरों की छटनी आम बात है. इनके वेतन गुजारा चलाने के भी लायक नहीं. ठेकेदारी मजदूर प्रथा जोरों पर है. भ्रष्टाचार हर स्तर पर है चाहे वह पदोन्नति का मामला है या नौकरी बहाल रखने का, या फिर कोल-खदान से सम्बन्धित कोई भी मामला क्यों न हो. प्रबन्धकों को कोल उद्योग में हो रहे घाटे आदि से कोई लगाव नहीं है. वह सब अपने ही स्वार्थों को पूरा करने में लगे हैं.

पश्चिमी बंगाल की वाम-मोर्चा सरकार ने केन्द्र-शासित ईस्टर्न कोल-फील्ड के मजदूरों के लिए पानी, चिकित्सा और स्कूल व कालेज स्तर की शिक्षा सुविधाओ के लिए एक योजना बनाई थी. इस दिशा में काम भी शुरू किया गया. लेकिन इस कोलफील्ड के प्रबन्धकों ने अनेक अड़चनें डाली. बाद में केन्द्र ने भी सहायता देने से इंकार कर दिया. इसलिए यह योजना ठप्प हो गई.

कोयला उद्योग के मजदूरों ने एक जुट होकर अपने हकों के लिए लड़ाइयां लड़ीं. उनके संघर्ष को कुचलने व एकता को तोड़ने की प्रबन्धकों ने गुण्डों और पुलिस की सहायता ली. उनका हर प्रकार से दमन किया गया. लेकिन दुनिया की कोई भी ताकत मजदूर शक्ति के सामने टिक नहीं सकती. मजदूरों की कुछ मांगें मानी गई. लेकिन मजदूरों की हालत ज्यों की त्यों है.

सीटू सहित पाँच केन्द्रीय ट्रेड यूनि-यनों की कोयला मजदूरों की मांगों को लेकर ३ दिसम्बर १९७८ को एक बैठक हुई. एक संयुक्त माँग-पत्र तैयार किया गया. वैतन सम्बन्धी द्विपक्षीय समिति की ११-१२ जनवरी को होने वाली बैठक से पहले मांगें न माने जाने पर जनवरी के आखिर में एक दिन की हड़ताल करने का फैसला भी किया गया. कामरेड एम के पंधे, सचिव, सीटू और कामरेड बामापद मुकर्जी, एम एल ए, उपाध्यक्ष, कोलियरी मजदूर सभा आफ इण्डिया (सीटू) इस द्विपक्षीय समिति के सदस्य हैं. इनके अलावा सीटू के दो सलाहकार भी इस समिति में शामिल है. सीटू ने बारी बारी से सभी राज्यों की कोलियरियों से इन सलाह-कारों को लेने का फैसला किया है. इससे इस समिति में सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व और सारे मसले शामिल हो जायेंगे.

लेकिन सीटू ने इस बैठक के फैसले को बहुत ही गम्भीरता से लिया और हड़ताल के लिए जबरदस्त तैयारी शुरू की. पश्चिमी बगाल, बिहार, मध्य प्रदेश आंध्र प्रदेश व अन्य राज्यों में स्थित कोलियरियों में हजारो मजदूरों ने सीटू के आह्वान पर प्रदर्शन किए और प्रबन्धकों को मांग-पत्र दिए. मध्य प्रदेश में सुराकछार, बिश्रामपुर, चिरीमिरी, अमरकंटक कोलियरियों, सिलेवारा कोयला खदान, सिंगारेनी कोलियरी (आंध्र प्रदेश) ऐसोसिएटिड कम्नपुरा (बिहार) साउंदा (बिहार) और दूसरी यूनियनों ने प्रदर्शनों के साथ अपने मांग पत्र प्रबन्धकों को दिए.

कोलियरी मजदूर सभा आफ इन्डिया [सीटू] के नेतृत्व में दिसेरगढ़, जहां ईस्टर्न कोलफील्ड का मुख्य दफ्तर है, के स्टेडियम में ३ जनवरी १९७९ को विशाल सभा हुई. इसमें २५००० से भी अधिक मजदूरों ने भाग लिया जिनमें ३००० महिलाएं भी शामिल हुईं. आस पास के गाव के किसान और छात्र शामिल हुए. बिहार के मजदूर भी इसमें भाग लेने आए. तैयारी के लिए खदान कमेटियों की बैठक बुलाई गई थी और पोस्टर लगाए गए थे. कोलियरी मजदूर सभा के अध्यक्ष कामरेड राबिन सेन, एम पी, ने इस संघर्ष का उद्देश्य बताया. उपाध्यक्ष कामरेड मुकर्जी एम एल ए ने मांग पत्र विस्तार से मजदूरों के सामने

[शेष पृष्ठ बारह पर]

दिल्ली क्षेत्र की रपट

वर्ग शत्रु कांपते रहेंगे — सी आई टी यू बढ़ती रहेगी

एमरजेंसी के दौरान जब जनता के तमाम जनवादी व मौलिक अधिकार छीन लिए गए तो मजदूर वर्ग के ट्रेड यूनियन अधिकार भी सुरक्षित न रह सके. ट्रेड यूनियनों की दिन प्रति दिन की गतिविधियों पर ही रोक नहीं लगाई गई बल्कि मजदूर वर्ग पर जबर्दस्त आर्थिक हमले भी किए गए, उन पर मनमाना काम का बोझ लादा गया और उन्हें छंटनी, ले आफ, ताला बन्दी व विक्टिमाइजेशन का शिकार बनाया गया. मार्च १९७७ के आम चुनावों में तानाशाही ताकतों की करारी हार के बाद दिल्ली और आस पास के क्षेत्रों का मजदूर वर्ग सी आई टी यू सीटू के नेतृत्व में अपने खोए हुए अधिकारों को प्राप्त करने के लिए पुनः लामबन्द हुआ. एमरजेंसी के बाद का यह दौर दिल्ली क्षेत्रों में सीटू के अभूतपूर्व विकास और मजदूर वर्ग के जुझारू संघर्षों का दौर है. दिल्ली, फरीदाबाद, गाजियाबाद, सोनीपत, पानीपत, हिसार, धामपुर, सहारनपुर आदि औद्योगिक क्षेत्रों के मजदूरों ने सीटू के नेतृत्व में लगातार जुझारू संग्राम छेड़कर एक नई और इन्कलाबी चेतना का परिचय दिया है.

संयुक्त संघर्ष और सीटू की भूमिका

मजदूर वर्ग की इस इन्कलाबी चेतना की पहली झलक १८ सितम्बर १९७७ को नई दिल्ली में मंहगाई और विक्टिमाइजेशन के खिलाफ तथा ट्रेड यूनियन अधिकारों व समान मांगों के लिए हुए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन सम्मेलन के प्रति उनके उत्साह में देखने को मिली. दिल्ली रीजनल सीटू के ७०० से अधिक डेलिगेटों ने इस सम्मेलन में भाग लिया. सम्मेलन की 'तैयारी कमेटी' में भी सीटू के प्रतिनिधियों ने केन्द्रीय भूमिका अदा की. अक्तूबर ७७ में सीटू की पहलकदमी पर ही दिल्ली के कपड़ा मजदूरों ने बोनस के लिए संयुक्त लड़ाई छेड़कर मिल मालिकों को अपनी मांगें मानने पर मजबूर कर दिया.

ट्रेड यूनियन अधिकारों पर हमलों के खिलाफ और एमरजेंसी के दौरान निकाले गए कर्मचारियों की बहाली की मांगों को लेकर १३ दिसम्बर १९७७ की ठिठुरती सांझ को नई दिल्ली की सड़कों पर हजारों-हजारों मजदूरों ने एक मशाल जुलूस निकाला और प्रधानमन्त्री की कोठी पर प्रदर्शन किया. इस दिन दिल्ली के लोगों को इतने विराट मशाल जुलूस रोमांचित कर देने वाला अनुभव पहली बार हुआ था. जिन केन्द्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों ने इस जुलूस में भाग नहीं लिया, उन्होंने ने भी स्वीकार किया कि सीटू की पहलकदमी पर हुए मजदूर वर्ग की एकता के इस विराट प्रदर्शन का श्रेय सीटू को है. सीटू ने प्रबन्धकों और सरकार द्वारा मजदूरों पर ढाए जा रहे दमन के खिलाफ और ट्रेड यूनियन अधिकारों की बहाली, जरूरत पर आधारित न्यूनतम वेतन व बोनस के लिए ११ मई १९७८ को 'दमन विरोधी दिवस' मनाने और एक दिन की औद्योगिक हड़ताल करने का फैसला किया. इस हड़ताल में यू टी यू सी, ए आई टी यू सी तथा समाचार पत्रों के कर्मचारियों ने भी भाग लिया. बीमा, बैंकों तथा अन्य मध्यवर्गीय कर्मचारियों ने इस हड़ताल में समर्थन किया. बी एम एस ने न केवल इसका विरोध किया बल्कि ११ मई को बी एम एस के लठैतों ने डी सी एम, ओखला व अन्य क्षेत्रों में हड़ताल तोड़ने की असफल कोशिश भी की. दिल्ली, फरीदाबाद, गाजियाबाद, सोनीपत आदि के मजदूरों ने उस दिन मुकम्मिल हड़ताल करके बी एम एस के इन लठैतों को मुंह तोड़ जबाब दिया.

इसी प्रकार १५ मई १९७८ को पब्लिक सेक्टर की यूनियनों के अखिल भारतीय सम्मेलन, १४ जून को वित्तमंत्री की कोठी पर दिए गए धरने और २८ जून की हड़ताल को दिल्ली में कामयाब बनाने के लिए सभी यूनियनों को एक मंच पर इकट्ठा करने, मजदूरों कर्मचारियों में नीचे से एकता पैदा करने और इस तरह मजदूर वर्ग की संयुक्त कार्यवाहियों को आगे बढ़ाने में दिल्ली सीटू ने बहुत महत्वपूर्ण और केन्द्रीय भूमिका अदा की.

औद्योगिक संबंध विधेयक के खिलाफ विराट प्रदर्शन

१९ नवम्बर १९७८ को औद्योगिक संबंध विधेयक के खिलाफ हुए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन सम्मेलन में दिल्ली सीटू के शानदार योगदान की देश के कोने कोने से आए डेलिगेटों ने काफी सराहना की. सम्मेलन की तैयारी में सीटू के सैकड़ों कार्यकर्ता दिन रात जुटे रहे. दिल्ली रीजन से सीटू के २५०० से अधिक डेलिगेट इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए आए, लेकिन प्रवेश-पत्र न मिल पाने के कारण अधिकांश को सारा दिन तालकटोरा स्टेडियम के बाहर ही रहना पड़ा.

२० नवम्बर को दिल्ली में मजदूर वर्ग का ऐतिहासिक जुलूस निकाला और बोट क्लब मैदान पर अभूतपूर्व रैली हुई. जिसमें एक लाख से अधिक मजदूर-कर्मचारियों ने हिस्सा लिया. इस जुलूस और रैली में भाग लेने के लिए फरीदाबाद, गाजियाबाद, सोनीपत तथा दिल्ली के कुछेक उद्योगों में मजदूरों ने सीटू के आह्वान पर मुकम्मिल हड़ताल की. मजदूर वर्ग की एकता के इस ऐतिहासिक प्रदर्शन में सबसे बड़ा जत्था सीटू का था, जिसका काफी श्रेय दिल्ली रीजनल सीटू के कार्यकर्त्ताओं की अद्भुत संगठनात्मक क्षमता को जाता है.

मजदूर वर्ग की एकता की प्रतीक सीटू और उसका फैलाव

इन सभी संयुक्त कार्यवाहियों में अपनी पहलकदमी, ईमानदारी और कर्मठता के चलते सीटू दिल्ली रीजन में मजदूर वर्ग की चट्टानी एकता का प्रतीक और संयुक्त संघर्षों की केन्द्रीय धुरी बन गई है. सीटू की एकता और संघर्ष की क्रांतिकारी लाइन से प्रभावित होकर मजदूरों में सीटू का सदस्य बनने की कितनी होड़ लग गई है, इसका अन्दाज इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि जहां १९७५ में दिल्ली रीजनल सीटू की सदस्य संख्या ३०,००० थी, वह बढ़ कर १९७८ में एक लाख के लगभग हो गई है. १९७५ में सीटू से सम्बद्ध यूनियनों की संख्या ६० से बढ़कर १९७८ में १५० हो गई है.

सीटू की इस बढ़ती हुई ताकत से प्रबन्धक और प्रशासन बौखला उठे हैं. इसी बौखलाहट और पागलपन में उन्होंने सीटू के खिलाफ जेहाद बोल दिया है. वे अखबारों के जरिये सीटू के खिलाफ हिंसा व अशांति फैलाने के मनगढ़न्त आरोप लगाते हैं जबकि असलियत यह है कि फरीदाबाद, गाजियाबाद, सोनीपत, हिसार, बुलन्दशहर आदि में प्रबन्धकों ने दूर-दूर से पेशेवर गुण्डों को इकठ्ठा करके अपनी एक प्राइवेट गुण्डा फौज बना रखी है. ये पेशेवर गुण्डे कहीं तो गार्डों के रूप में तैनात रहते हैं और कहीं प्रबन्धकों की जेबी यूनियनों के नेता के रूप में. तेज हथियारों, राइफलों और बन्दूकों से लैस ये गुण्डे आए दिन सीटू के कार्यकर्ताओं पर हमले करते हैं. कहीं-कहीं तो इन हमलों का नेतृत्व खुद प्रबन्धक करते हैं. जैसे हरियाणा रंग उद्योग, बहालगढ़ में मजदूरों पर हमलों का नेतृत्व खुद प्रबन्धक ने किया और बल्कि उनसे भी दो कदम आगे बढ़कर मजदूरों पर हमले करती हैं. मजदूरों के ट्रेड यूनियन अधिकारों पर कुठाराघात करती हैं. ये सरकारें प्रबन्धकों और उनके गुण्डों को गिरफ्तार करने की बजाए, उल्टे उनके हमलों के शिकार मजदूरों और उनके नेताओं को गिरफ्तार करती हैं, उन पर झूठे मुकदमे चलाती हैं और हर तरह से उन्हें परेशान करती हैं. हरियाणा रंग उद्योग बहालगढ़, हैरिंग इण्डिया गाजियाबाद और फरीदाबाद के कांड इसके जीते जागते सबूत हैं. मजदूरों के जलसे-जलूसों, गेट मीटिंगों आदि पर सीधे पाबन्दी न लगाकर दफा १४४ लगा दी जाती है. फरीदाबाद, गाजियाबाद और सोनीपत में तो एक तरह से परमानेन्ट दफा १४४ लगी रहती है. मजदूरों को डराने-धमकाने के लिए लगभग हर फैक्ट्री गेट पर पुलिस तैनात रहती है और ये पुलिस अफसर प्रबन्धकों से आदेश लेते हैं. इसी प्रकार श्रम विभाग भी प्रबन्धकों का खुला पक्ष लेते हैं. पश्चिमी यू पी में तो यूनियनों को रजिस्टर करने से इंकार कर दिया है. एमरजेंसी के बाद से पश्चिमी यू पी में सीटू की एक भी यूनियन को पंजीकृत नहीं किया गया जबकि ३६ यूनियनों ने पंजीकरण के आवेदन पत्र दे रखे हैं.

मालिक सरकार एक हैं—भूलो मत

राज्यसत्ता के वर्ग चरित्र का पर्दा फाश करने वाली सीटू का यह नारा दिल्ली रीजन के मजदूरों के दैनिक अनुभव का अभिन्न अंग बन चुका है. जनतंत्र का ढोंग रचाने वाली हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली की जनता सरकारें मजदूरों पर दमन ढाने में प्रबन्धकों की मदद ही नहीं करती है, यूनियन के सेक्रेटरी कामरेड शिवचरण की गोली मारकर हत्या कर दी. इसी प्रकार जिन्दल इन्डस्ट्रिज, हिसार में हुए मजदूरों पर हमले का नेतृत्व भीं खुद प्रबन्धक ने किया. हैरिंग इण्डिया कांड (गाजियाबाद) की भी यही कहानी है. फरीदाबाद गाजियाबाद और सोनीपत में मजदूरों पर हमलों और प्रबन्धकों की प्राइवेट गुण्डा फौजों के काले कारनामों को खोलने पर पूंजीवादी अखबारों को भी मजबूर होना पड़ा.

जुझारू प्रदर्शन और लम्बे संघर्ष

प्रबन्धकों, पुलिस, गुण्डों और सरकारी मशीनरी के इतने दमन के बावजूद सीटू की ताकत लगातार बढ़ रही है. दूसरे ट्रेड यूनियन संगठन इस दमन का मुकाबला करने से इन्कार करते हैं. फरीदाबाद में बी एम एस तो उल्टे मजदूरों पर दमन के लिए प्रबन्धकों का हथियार बन गई है. इंटक का उसकी मालिक-परस्त तथा संघर्ष-विरोधी नीति के कारण और एटक का वर्ग सहयोगवादी गद्दार नीति के कारण फरीदाबाद, गाजियाबाद, सोनीपत व हरियाणा के दूसरे औद्योगिक क्षेत्रों में लगभग पूरी तरह सफाया हो गया है. लेकिन इन संगठनों के आम सदस्य सीटू के आह्वान पर इस दमन के खिलाफ प्रतिरोध संग्राम में बराबर हिस्सा लेते हैं और ये संगठन अपने ही सदस्यों से लगातार कट रहे हैं. सीटू नीचे से मजदूरों में एकता कायम करके जुझारू प्रतिरोध आंदोलन चलाने में लगातार सफलता प्राप्त कर रही है.

सोनीपत जिले में यह प्रतिरोध आंदोलन एक नयी क्रांतिकारी करवट ले रहा है. इस जिले के मजदूर सीटू के झंडे लिए १५-२० मील दूर से प्रतिरोध सभाओं में भाग लेने के लिए जुलूस बनाकर आते हैं. रास्ते के गांवों से गुजरते 'मजदूर-किसान एकता-जिन्दाबाद', 'इन्कलाब-जिन्दाबाद' के नारे लगाते हुए ये जुलूस गांव के लोगों का ध्यान और हमदर्दी अनायास ही जीत लेते हैं. हिसार के कपड़ा मजदूरों और अभी भी चल रहे जिन्दल

[शेष पृष्ठ बारह पर]

राष्ट्रीय प्रचार समिति

औद्योगिक सम्बन्ध विधेयक के खिलाफ एकजुट होओ

औद्योगिक सम्बन्ध विधेयक के खिलाफ राष्ट्रीय प्रचार समिति की बैठक हाल ही में १२ व १४ दिसम्बर को नई दिल्ली में हुई.

बैठक ने अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन सम्मेलन के समर्थन में मजदूरों को एकजुट करने के लिए २० जनवरी से १० फरवरी १९७९ के बीच राज्य/क्षेत्रीय स्तर के सम्मेलन आयोजित करने का फैसला किया.

बैठक ने बुनियादी तौर पर यह भी स्वीकार किया कि देश में औद्योगिक सम्बन्ध विधेयक के खिलाफ एक दिन मनाया जाए जिसके लिए तारीख राष्ट्रीय प्रचार समिति की जनवरी १९७९ में होने वाली बैठक में तय की जाएगी.

दूसरे मसलों के साथ साथ इस बैठक में उस पत्र पर भी विचार किया गया जिसे केन्द्रीय श्रम मंत्री ने औद्योगिक सम्बन्ध विधेयक पर बातचीत करने के लिए भेजा था. इस मजदूर-विरोधी विधेयक को वापस लेने की मांग करते हुए केन्द्रीय श्रम मंत्री को इस बारे में एक संयुक्त स्मरण-पत्र देने का फैसला किया गया. इस फैसले के अनुसार, स्मरण-पत्र में इस बात पर जोर दिया जाएगा कि ट्रेड यूनियनें विधेयक के वापस ले लिये जाने के बाद ही सरकार के साथ बातचीत करने के लिए तैयार होंगी.

इस बात का भी फैसला हुआ कि श्रम मंत्री उन सभी केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों को बुलाए जो व्यापक औद्योगिक सम्बन्ध विधेयक की ३०-सदस्यीय समिति के सदस्य थे. यह फैसला इसलिए जरूरी था क्योंकि श्रम मंत्री ने बातचीत के लिए उन सभी केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों को बातचीत के लिए बुलावा नहीं भेजा था जिन्होंने ३०-सदस्यीय-समिति में भाग लिया था.

औद्योगिक सम्बन्ध विधेयक के खिलाफ हुए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन सम्मेलन की समझ को लोकप्रिय बनाने के इरादे से इस बैठक ने हिन्दी और अंग्रेजी में एक पुस्तिका प्रकाशित करने का भी फैसला किया.

सीटू मजदूर

सी आई टी यू का मासिक मुखपत्र

एक प्रति की दर — पचास पैसे

वार्षिक चन्दा — छः रुपये

एजेंसी

कम से कम पांच प्रतियों की एजेन्सी जितनी प्रतियां चाहिए उतने ही रुपये जमा-राशि के रूप में जमा करा कर प्राप्त की जा सकती हैं. एजेन्सी खत्म होने पर जमा-राशि लौटा दी जाएगी. बिल का हर महीने भुगतान करना होगा. पांच या अधिक प्रतियां खरीदने पर २५% कमीशन दी जाएगी. इसके लिए इस पते पर लिखें :

मैनेजर,

सीटू मजदूर

सी आई टी यू का केन्द्रीय कार्यालय,
६, ताल कटोरा रोड, नई दिल्ली-११०००१

ग्राम : सीटूसेन्ट — फोन : ३८४०७१

नेशनल टेक्सटाइल कार्पोरेशन के अध्ययन दल में सीटू का प्रतिनिधित्व

भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय ने नेशनल टेक्सटाइल कार्पोरेशन में हो रहे जबरदस्त घाटे के कारणों की छानबीन करने व भ्रष्टाचार खत्म करने तथा कार्पोरेशन की आर्थिक हालत सुधारने के लिए उपाय सुझाने के लिए एक अध्ययन दल नियुक्त किया है. इसमें सभी केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधि शामिल हैं. इसमें कामरेड शांति शेखर बोस सीटू के प्रतिनिधि हैं.

सीटू की यूनियनों ने इस दल को बहुत से तथ्य व सूचनाएं दीं और बताया कि किस प्रकार कार्पोरेशन के प्रबन्धक इसे घाटा दे रहे हैं. यह संस्था १९७४ में बनी थी और इसे अब तक १५० करोड़ रुपये का घाटा हो चुका है. सीटू के प्रतिनिधियों ने बताया है कि एन टी सी मिलों को जरूरत के मुताबिक कपास नहीं दी जाती और जो कपास दी जाती है वह घटिया किस्म की होती है. इसके अलावा बहुत ऊंचे दामों पर खरीदी गई मशीनें बेकार पड़ी हैं. उन्हें इस्तेमाल नहीं किया जाता. इससे एन टी सी मिल कपड़े का अपनी क्षमता से आधा उत्पादन करते हैं.

उन्होंने जनता सरकार की टेक्सटाइल नीति की भी आलोचना की जिसके तहत निजी टेक्सटाइल मिल अब नियंत्रित कपड़े का उत्पादन नहीं करेंगी जिसके उत्पादन का सारा बोझ अब एन टी सी को ही उठाना पड़ेगा. सीटू यूनियनों ने अध्ययन दल को स्मरण-पत्र दिए जिनमें अन्य बातों के अलावा कच्ची कपास के व्यापार के राष्ट्रीयकरण व नियंत्रित कपड़े के उत्पादन की मौजूदा नीति को खत्म करने के बारे में भी कहा गया है. इस दल के समक्ष दूसरी यूनियनें भी पेश हुईं. यह दल ३१ मार्च १९७९ तक अपनी रिपोर्ट पेश करेगा.

राजस्थान के कर्मचारियों के साथ विश्वासघात

कोटा (राजस्थान) से लगभग ३४ मील दूर स्थित राजस्थान अणुशक्ति प्रोजेक्ट और हैवी-वाटर प्रोजेक्ट में काम करने वाले मजदूरों और कर्मचारियों के करीब पांच-छः हजार परिवार इसके पास के बिल्कुल अविकसित इलाके में रहते हैं. इस इलाके में जन सुविधा नाम की कोई चीज नहीं, न मकान है, न चिकित्सा के साधन, और शिक्षा की तो बात ही दूर है. इस इलाके के बहुत ही पिछड़ा होने के कारण सरकार इन कर्मचारियों को प्रोजेक्ट-भत्ता देती थी ताकि उन्हें इस वीरान जगह में महंगे दामों पर जरूरत की चीजें जुटाने में कुछ मदद मिल सके.

लेकिन रेल हड़ताल के तुरन्त बाद इन्दिरा गांधी के राज में अणुशक्ति विभाग ने नवम्बर १९७४ में यह भत्ता देना अचानक बन्द कर दिया. राजस्थान अणुशक्ति कर्मचारी यूनियन (सीटू) ने इसका प्रस्ताव पास करके, प्रदर्शनों, धरनों व भूख हड़तालों से शांति-पूर्वक विरोध किया. परन्तु राजस्थान अणुशक्ति प्रोजेक्ट के प्रबन्धकों ने प्रोजेक्ट भत्ता देने की बजाए जबरदस्त दमन और शोषण की नीति अख्तयार की. और यूनियन के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव और कार्यकारिणी समिति के कुल मिलाकर नौ कार्यकत्ताओं को मुअत्तल कर दिया. यूनियन के नेताओं में से कई को नौकरियों से झूठे इल्जाम लगाकर निकाल दिया. बाकि साथी अभी भी मुअत्तल ही हैं.

जनता सरकार ने आपात्तकाल में निकाले गए कर्मचारियों को वापस लेने का वायदा किया था. खुद प्रधान मंत्री ने जो अणुशक्ति विभाग का काम देखते हैं कर्मचारियों के साथ न्याय के लिए कोई कदम नहीं उठाया. सरकार के श्रम विभाग ने भी उचित रवैया नहीं अपनाया. इससे मजबूर होकर कर्मचारियों को संघर्ष के मैदान में कूदना पड़ा.

राजस्थान अणुशक्ति कर्मचारी यूनियन ने अन्य यूनियनों के साथ मिल कर एक संघर्ष समिति बनाई और नौ-सूत्री मांग-पत्र प्रबन्धकों को दिया. इस मांग-पत्र में प्रोजेक्ट भत्ते को बहाल करने, निकाले गए साथियों को वापस लेने, अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी बनाने, ठेकेदारी प्रथा खत्म करने, विकिरण व रात्रि भत्ते व बोनस देने व मजदूर वर्ग विरोधी नीतियों को समाप्त करने की मांग रखी गई थी.

प्रबन्धकों ने इस बारे में कोई कदम नहीं उठाया. यूनियन द्वारा कराए गए चुनाव में ९७% कर्मचारियों ने हड़ताल के समर्थन में अपना मत दिया. प्रबन्धकों को चुनाव का फैसला सुना दिया गया था. प्रबन्धकों द्वारा इस पर भी कुछ न किए जाने पर ८ सितम्बर १९७७ से संघर्ष-समिति ने अनिश्चित काल के लिए हड़ताल करने का आह्वान किया.

यह हड़ताल पूरी तरह से सफल रही. केवल तीन कर्मचारी काम पर गए. सरकार ने इस हड़ताल को दफा १४४, सभाओं, प्रदर्शनों और ट्रेड यूनियन की गतिविधियों पर रोक लगाकर तोड़ने की कोशिश की. किन्तु इन बहादुर कर्मचारियों की शक्ति को तोड़ने या कमजोर करने में सरकार कामयाब नहीं हुई, और हड़ताल १२१ दिन तक चली.

इस बीच राजस्थान के मुख्य मन्त्री व गृह और श्रम मंत्री इससे सहमत हुए कि कर्मचारियों की मांगें जायज है और यह आश्वासन दिया गया कि मुख्य मंत्री खुद प्रधान मंत्री से इस विषय में बातचीत करेंगे. इसी दौरान स्वयं कामरेड पी राममूर्ति, अध्यक्ष, सीटू और केन्द्रीय श्रम मंत्री श्री रवीन्द्र वर्मा ने कोटा जा कर ७ नवम्बर १९७८ को इकट्ठे स्थिति का निरीक्षण किया. केन्द्रीय श्रम मंत्री ने भी एक बैठक बुलाई और आश्वासन दिया कि उनकी जायज मांगें मान ली जाएंगी और एक सप्ताह में संघर्ष समिति से बातचीत शुरू की जाएगी. फिर उन्होंने हड़ताल वापस लेने की अपील की. केन्द्रीय मुख्य श्रम आयुक्त से भी बातचीत हुई.

अंत में १२१ दिन के बाद इन सब वायदों के आधार पर ६ जनवरी १९७८ को संघर्ष समिति ने हड़ताल वापस ले ली. लेकिन प्रबंधकों ने इन सब वायदों को रद्दी की टोकरी में डाल दिया और कोई बातचीत शुरू नहीं की गई. जब दिल्ली में तथाकथित बातचीत शुरू हुई तो संघर्ष-समिति के नेताओं को भाग नहीं लेने दिया गया. यहां तक कि राजस्थान के श्रम मंत्री, जो उस दिन वहीं थे, को भी बैठक से बाहर ही रहने के लिए कहा गया जब कि केन्द्रीय श्रम मंत्री से हुई बातचीत से यह तय था कि संघर्ष समिति के सभी नेता इस बातचीत में भाग लेंगे.

कर्मचारियों को दी गई अग्रिम अदायगी भी उसके वेतन से काटी जा रही है. यूनियन नेता अभी तक मुअत्तल हैं. कोई मांग नहीं मानी गई हैं. वेतन-वृद्धियां रुकी पड़ी हैं. हड़ताल के दौरान का प्रश्न अभी तक हल नहीं हुआ हैं. हड़ताल खत्म हुए एक वर्ष हो गया है लेकिन मांग पत्र पर कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है.

सीटू का चौथा

सम्मेलन

११ से १५ अप्रैल, १९७९

मद्रास

दिल्ली क्षेत्र की रपट

[पृष्ठ नौ से आगे]

इन्डस्ट्रिज के मजदूरों के लम्बे संघर्ष के दौरान तो यह मजदूर-किसान एकता एक मिसाल ही बन गई जब गांव के किसान हड़ताली मजदूरों की हिमायत और मदद के लिए मैदान में उतर आए और ५६,००० रु० इकट्ठा करके मजदूरों की लड़ाई में अभूतपूर्व योगदान दिया.

इस प्रकार प्रबन्धक और प्रशासन सीटू को दबाने के लिए जितना दमन करते हैं, सीटू उतने ही संग्रामी अनुभवों से लैस होकर और मजबूत हो रही है. सीटू को कमजोर बनाने के लिए प्रबन्धक मजदूरों के सामने प्रस्ताव रखते हैं कि सीटू छोड़कर दूसरी किसी भी यूनियन के सदस्य बन जाओ, हम तुम्हारी मांगें मान लेंगे. मजदूर प्रबन्धकों की इस मांग का अर्थ खूब समझते हैं. परिणामस्वरूप मजदूरों को लम्बी लड़ाइयां लड़नी पड़ रही हैं. हरियाणा रंग उद्योग के मजदूर सवा साल से हड़ताल पर हैं, जे के इण्डस्ट्रिज के कर्मचारी भी सवा साल से लड़ रहे हैं, जिन्दल इण्डस्ट्रिज के मजदूर छः महीनों से अधिक से संघर्ष पर हैं—पर ये मजदूर सीटू छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं. इसी प्रकार फरीदाबाद में आटो पिन्स, सिराको आटो, बेरी सन्स, अमेरिकन युनिवर्सल, जे एम ए, भारत कार्पेट आदि में भी मजदूरों ने बहुत लम्बे-लम्बे संघर्ष लड़े. गाजियाबाद में जैन ट्यूब की हड़ताल भी ८५ दिन चली. म्युनिसिपल कर्मचारी शार्पएज लिमिटेड और जे के इन्डस्ट्रिज के मजदूर भी लम्बी लड़ाई लड़ रहे हैं.

मजदूर वर्ग की लम्बी लड़ाइयों का यह दौर मजदूर वर्ग के क्रांतिकारी ट्रेड यूनियन संगठन सी आई टी यू के सामने नई जिम्मेदारियां और नई चुनौतियां फेंक रहा है. सीटू की दिल्ली रीजनल कमेटी इन चुनौतियों के आमने-सामने खड़ी अपनी नई जिम्मेदारियों के प्रति रूप से सजग और सक्रिय है. फिर से उभरती हुई तानाशाही ताकतों से जनतंत्र के लिए पैदा हो रहे खतरों और जनता सरकार की जन विरोधी आर्थिक-सामाजिक नीतियों के खिलाफ लड़ने के लिए, जनवादी व ट्रेड यूनियन अधिकारों की सुरक्षा के लिए, मजदूर वर्ग के लिए काम करने की बेहतर स्थितियां हासिल करने के लिए एक व्यापक और एकजुट संग्राम छेड़ने की जिम्मेदारी उठाने योग्य अपनी संगठनात्मक क्षमताओं को और अधिक मजबूत बनाने के क्रांतिकारी नजरिये से ही दिल्ली रीजनल सीटू के जुझारू कार्यकर्त्ता अपनी तीसरी रीजनल कांफ्रेंस की ओर बढ़ रहे हैं.

कोयला उद्योग

[पृष्ठ सात से आगे]

रखा. महासचिव कामरेड हाराधन राए, एम एल ए, और बिहार सीटू सचिव कामरेड चंडी प्रसाद के अलावा कई सीटू नेताओं ने भाषण दिए.

ईस्टर्न कोलफील्ड के प्रबन्धकों की ओर से डाइरेक्टर परस्नल और चीफ परस्नल अफसर ने स्टेडियम आकर मांग-पत्र और स्मरण-पत्र लिए. उन्होंने वचन दिया कि वह इसकी सूचना मंत्रालय के पास भेज देंगे. मांग-पत्र में पन्द्रहवें भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिशों के आधार पर जरूरत के अनुसार न्यूनतम वेतन, आवास और चिकित्सा सुविधाओं व अन्य भत्तों को देने के साथ कई मांगें रखी गई है.

स्मरण-पत्र में मांग की गई है कि सरकार ११ और १२ जनवरी १९७९ को होने वाली वेतन सम्बन्धी द्विपक्षीय समिति की बैठक से पहले यह मांगें स्वीकार करे. इस पत्र में चेतावनी दी गई है कि यदि सरकार ने ये मांगे न मानी तो कोयला उद्योग के छः लाख से भी अधिक मजदूरों के पास जनवरी के आखिर में एक दिन की हड़ताल जैसी सीधी कार्यवाही करने के सिवाए और कोई रास्ता नहीं रह जाएगा.

अखिल भारतीय महिला-कर्मचारी

सम्मेलन

१० अप्रैल, १९७९

मद्रास

दुनिया में बढ़ती बेरोजगारी - पूंजीवाद की देन

आज से २००० तक संसार को एक अरब पचीस करोड़ और अधिक लोगों को रोजगार देना होगा. ये लोग पैदा हो चुके हैं और वक्त के साथ रोजगार के काबिल होंगे.

इस शताब्दी के बदलने तक दुनिया में कार्यशील लोगों की संख्या दो अरब पचास करोड़ हो जाएगी. यह संख्या १९७५ में एक अरब साठ करोड़ थी जिसमें २००० तक नव्वे करोड़ की बढ़ोत्तरी हो जाएगी.

दुनिया में बेरोजगारों तथा अल्प रोजगार वालों की संख्या १९७५ के आंकड़ों के मुताबिक क्रमशः पांच करोड़ और तीस करोड़ है. इस संख्या में आज तक बढ़ोत्तरी ही हुई है. इन लोगों को भी काम चाहिए.

इतनी बड़ी संख्या में बेरोजगार पहले से ही मौजूद हैं. हर साल करोड़ों बेरोजगार इसमें शामिल हो जाते हैं. आने वाले दिनों में दुनिया की एक भयानक हालत होगी जब आज की संख्या से पांच करोड़ अधिक लोगों को हर साल नौकरी की जरूरत होगी.

इन सभी बेरोजगारों को काम देने का मतलब है कि हर साल ब्रिटेन या फ्रांस को समूची जनता के लिए नौकरियों का इन्तजाम करना. यह भयानक समस्या केवल पूंजीवादी देशों में है, समाजवादी देशों में नहीं.

भारत में बेरोजगारी की समस्या

देश में बेरोजगारों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है. भारत में १९५१ में तीन लाख २९ हजार बेरोजगार थे. यह संख्या १९७४ के अन्त तक ८४ लाख ३५ हजार हो गई. आपात्तकाल में यह संख्या और भी तेजी से बढ़ी. यह संख्या १९७६ खत्म होने तक ९७ लाख ७२ हजार हो गई. जनता पार्टी के सत्ता में आते आते बेरोजगारों की संख्या एक करोड़ को पार कर गई.

अगस्त १९७७ में देश में एक करोड़ सात लाख १८ हजार बेरोजगार थे इस संख्या में १९७७ खत्म होने तक दो लाख छः हजार बेरोजगार और जुड़ गए. अगस्त १९७८ में यह संख्या एक करोड़ २१ लाख ४९ हजार हो गई. यानि एक वर्ष में १४ लाख ३१ हजार लोग और बेरोजगारों की कतार में लग गए. इन आंकड़ों से पता चलता है कि इस वर्ष (१-९-१९७७ से ३१-८-१९७९) में हर महीने लगभग एक लाख बीस हजार बेरोजगारों की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई. अगर बेरोजगारों की वृद्धि की दर यही रहती है तो दस साल में देश में ढ़ाई करोड़ से भी ज्यादा बेरोजगार होंगे.

इस समय अगस्त १९७८ के आंकड़ों के अनुसार एक करोड़ २१ लाख ४९ हजार बेरोजगारों को रोजगार देने का मतलब है पूरे हरियाणा की जनता, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, के लिए रोजगार का बन्दोबस्त करना. और दस साल बाद सरकार को हरियाणा के साथ साथ पंजाब की भी समूची जनता के लिए रोजगार जुटाना पड़ेगा.

ये आंकड़े रोजगार केन्द्रों के अनुसार हैं. वास्तव में बेरोजगारों की संख्या इससे कई गुना है. क्योंकि बहुत सारे लोग इन केन्द्रों में नाम लिखा ही नहीं पाते. इसलिए समस्या इससे कहीं ज्यादा गम्भीर है.

जनता सरकार तो १० साल में बेरोजगारी खत्म करने की बात कर रही है. लेकिन अभी इसके लिए कोई

[शेष पृष्ठ पंद्रह पर]

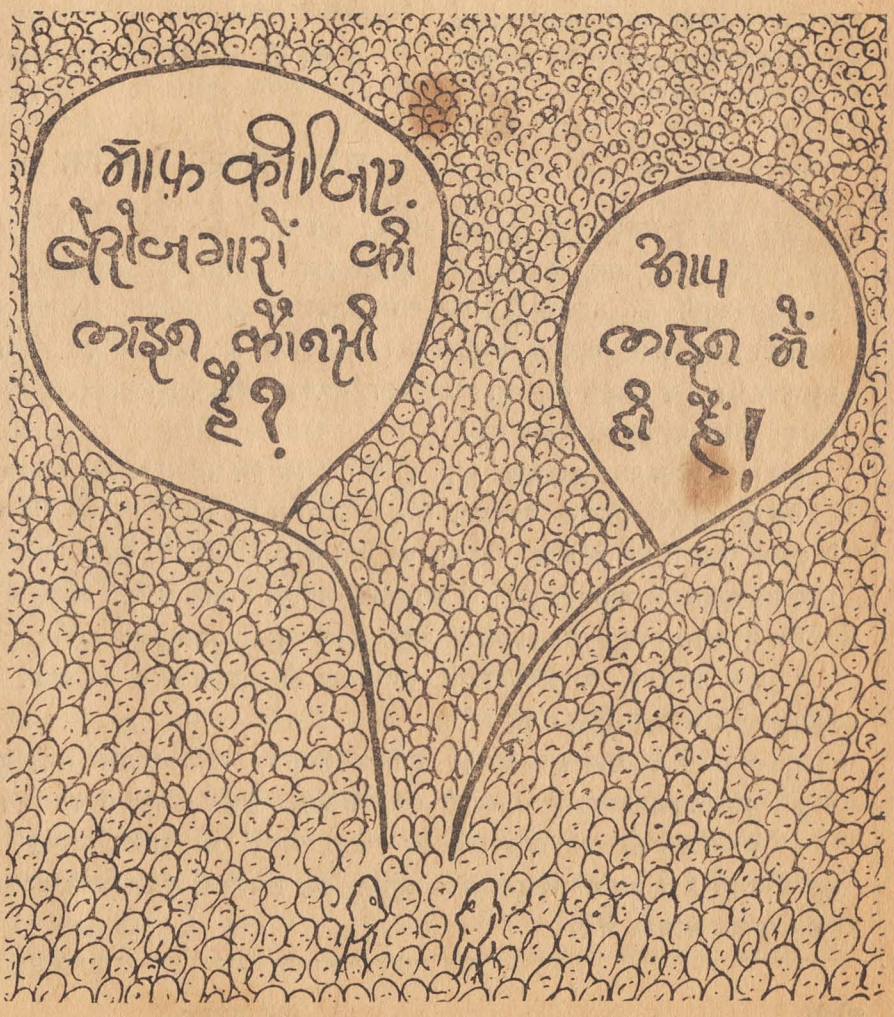

तानाशाही ताकतों का डटकर मुकाबला करो

[पृष्ठ चार से आगे]
जरूरत नहीं कि यह एकता वामपंथी और जनवादी ताकतों की एकता की बुनियाद के लिए कितनी महत्वपूर्ण है. यदि देश को तानाशाही की चुनौती को करारी मात देनी है व जनता सरकार की प्रतिक्रियावादी नीतियों—प्रतिक्रियावादी आर्थिक नीतियों, और जनवादी अधिकारों व आजादी के दमन की नीतियों—का मुकाबला करना है तो यह एकता निहायत जरूरी है.

जनता पार्टी के भीतर के विवादों और उसके देश की राजनीति के ऊपर पड़ने वाले असर के बारे में जिक्र करते हुए कामरेड रणदिवे ने जनता पार्टी में आर एस एस के बढ़ते प्रभाव और प्रधानमंत्री के काम करने के तरीके व उनके चुनाव वायदों को ताक पर रखते हुए राज्य सरकारों को नजरबन्दी कानून लागू करने के लिए बढ़ावा देने के बारे में बताया. उन्होंने कहा कि इन नीतियों से जनता पार्टी की जनता में इज्जत तेजी से कम हुई है. इन्हीं सब कामों के कारण देश में तानाशाही ताकतें फिर सिर उठाने लगी हैं और दिन-पर-दिन अपनी तानाशाही योजनाओं को जायज ठहराने के लिए ताकतवर होती जा रही हैं.

कामरेड रणदिवे ने ४५वें संशोधन कानून की महत्वपूर्ण धाराओं का, जिन्हें ४२वें संशोधन कानून की तानाशाही ताकतों को खत्म करने के लिए रखा गया, राज्य सभा में विरोध करने व असफल बनाने में कांग्रेस (इन्दिरा) के कामों के बारे में भी बताया. कांग्रेस (इन्दिरा) आपात्तकाल के दिनों के तानाशाही ढांचे को तोड़ने या कमजोर बनाने के हर काम का विरोध करने की साजिश कर रही है.

उन्होंने इन्दिरा-कांग्रेस की राज्य सरकारों द्वारा अपनाई जा रही पुलिस दमन, और अत्याचारियों को पनाह देने व ताकतों का नाजायज फायदा उठाने की उन्हीं पुरानी नीतियों के बारे में चर्चा की. उन्होंने कहा कि ये ताकतें जनता सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियों के कारण ही फिर पनप रही हैं.

इन सबसे पैदा हुए खतरे के प्रति चेतावनी देते हुए कामरेड रणदिवे ने कहा कि तानाशाही ताकतों के हमलावर विकास को इन्दिरा गांधी की चिकमगलूर में मिली सफलता से और बढ़ावा मिला है. यह वह खतरा है जिसके खिलाफ देश की दूसरी वामपंथी व जनवादी ताकतों के साथ मिलकर ट्रेड यूनियन आंदोलन को लड़ाई लड़नी है. हमारी एकता जनवाद की रक्षा और उसकी उन्नति के लिए जनवादी ताकतों को कार्यरत करने में जबरदस्त सहयोग देती हैं.

पाठकों से अपील

एक अरसे से मजदूरों व यूनियनों की यह मांग रही है कि सीटू हिन्दी में एक ऐसी पत्रिका प्रकाशित करे जिससे उन्हें देश के ट्रेड यूनियन आंदोलन की पूरी जानकारी मिलती रहे, इसके अलावा यह पत्रिका देश में समाजवाद लाने व मजदूरों-किसानों की तानाशाही कायम करने के इरादे से ट्रेड यूनियन आंदोलन की क्रांतिकारी भूमिका व अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए संगठित होने व यूनियनों को और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए लगातार सही समझ व शिक्षा दे जिससे देश का मजदूर-वर्ग सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों व शोषकों के दमन के खिलाफ एकजुट होकर क्रांतिकारी लड़ाई लड़े.

हमें यह घोषणा करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अब यह मांग 'सीटू मजदूर' के प्रकाशन से पूरी हो गई है.

देश के मजदूरों, सीटू से सम्बद्ध व अन्य यूनियनों से हम अपील करते हैं कि वे 'सीटू मजदूर' के संदेश को ज्यादा से ज्यादा मजदूरों तक ले जाएं कि यह एक ऐसी पत्रिका होगी जो देश में ट्रेड यूनियन आंदोलन की एकता और उसकी भारतीय जनता के जनवादी संघर्ष में क्रांतिकारी भूमिका निभाने के लिए संघर्ष करेगी.

देश में, खास तौर से उन क्षेत्रों में जहां हिन्दी बोली जाती है, 'सीटू मजदूर' एकमात्र ऐसी पत्रिका होगी जो पूंजीवाद के खिलाफ, जनवादी क्रांति, समाजवाद की स्थापना और वर्ग संघर्ष के लिए मजदूरों में क्रांतिकारी विचार कूट-कूट कर भरने के लिए संघर्ष करेगी.

हम चाहते हैं कि आप इस पत्रिका के लिए लगातार अपने सुझाव भेजें. यूनियनों की रिपोर्ट दें और अपने क्षेत्र के ट्रेड यूनियन आंदोलन की जानकारी दें ताकि हम उन्हें इस पत्रिका में प्रकाशित कर देश के कोने-कोने तक पहुंचाएं.

हम आपसे यह भी जानना चाहेंगे कि 'सीटू मजदूर' की भाषा आपको कैसी लगी. आप इसमें किस प्रकार के सुधार चाहते हैं ? हम आपके सुझावों के अनुसार इस पत्रिका में सुधार करने की पूरी कोशिश करेंगे. इसके लिए आप अपने पत्र सम्पादक के नाम भेजें.

—सम्पादक-मण्डल

बिहार के राज्य कर्मचारी

सांकेतिक हड़ताल के लिए मजबूर

योगेन्द्र प्रताप सिंह, महामंत्री बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने अपने एक बयान में कहा है कि मुझे आश्चर्य है कि बिहार सरकार के वित्तमंत्री ने १ जनवरी से राज्य के कर्मचारियों को केन्द्रीय दर पर महंगाई भत्ता देने की घोषणा की है जबकि पूर्व के कई अवसरों पर सरकार के आश्वासन रहे हैं कि भत्ते की सिद्धान्ततः स्वीकृति वित्तीय वर्ष १ अप्रैल से की जाएगी. यद्यपि महासंघ की मांग रही है कि केंद्रीय दर पर महंगाई भत्ता १९७७-७८ वर्ष से लागू किया जाय. पहले कई आंदोलन हुए जिसके माध्यम से सरकार से मांग की गयी थी कि राज्य एवं केन्द्रीय कर्मचारियों के वेतन भत्तों की विषमता दूर की जाय.

वित्तमन्त्री की वर्तमान घोषणा से जहां प्रशासन में कार्यरत सर्वाधिक उपेक्षित समुदाय को एक पैसे का लाभ नहीं मिलेगा, वहां दूसरी ओर ऊंचे वेतनधारी समुदाय २६८ रुपए प्रतिमाह लाभान्वित होंगे. इस प्रकार उनका निर्णय बड़े अधिकारियों को अधिक लाभ पहुंचाता है. राज्य कर्मचारियों के लिए गठित तृतीय वेतन समिति की कर्मचारी विरोधी प्रतिक्रियावादी सिफारिश का कार्यान्वयन १ जनवरी '७१ से हुआ और चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी जिनकी संख्या लगभग ३० प्रतिशत हैं १५५-१९० के वेतनमान में रखे गए, वहां गुजरात, केरल तथा केन्द्रीय सरकार ने उन्हें १९६-२८२ रुपया का वेतनमान स्वीकृत किया. इस प्रकार चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी प्रतिमाह ४१ रुपये का घाटा उठा रहे हैं. महंगाई भत्ता एवं अन्य उपांतीय लाभ की गणना वेतन के साथ की जानी चाहिए न कि अलग-अलग, जब तक चतुर्थ श्रेणी एवं तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के इस घाटे की पूर्ति नहीं की जाती तब तक इन्हें कोई लाभ नहीं मिलेगा. सरकार के इस निर्णय से कर्मचारियों का बहुत बड़ा हिस्सा प्रभावित होने जा रहा है.

अतः यदि सरकार तत्परता से इसमें सुधार नहीं करती तो इसके बहुत बुरे परिणाम होंगे. इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि कुछ एक श्रेणी के कर्मचारियों का वेतन यथा उप समाहर्ता एवं अवर उप-समाहर्ता, सचिवालय के सहायकों अवर शिक्षा अधिकारियों का वेतन उत्क्रमित हुआ और लाखों की संख्या में कर्मचारी जिसमें विशेष कर तृतीय एवं चतुर्थवर्गीय कर्मचारी हैं लाभ से वंचित रखे गए. यदि शेष सभी कर्मचारियों का वेतन उत्क्रमित किया जाय तभी न्याय में एकरूपता रह सकती है. मैं पुनः राज्य सरकार के इस अविवेकपूर्ण निर्णय की घोर भर्त्सना करता हूं जिसमें कि महंगाई भत्ता की बढ़नेवाली राशि का ५० प्रतिशत जमा करने का फैसला लिया है. इस संबंध में यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि जनता पार्टी के विभिन्न घटक अनिवार्य बचत योजना के घोर विरोधी थे. उन्होंने आज स्वयं अनिवार्य बचत पांच वर्षों के लिए चालू करने का दुःसाहस किया है. महंगाई भत्ते की रकम को जमा करना यह वेतन जाम की घृणित कार्रवाई होगी जिसे महासंघ कभी बर्दास्त नहीं कर सकता.

अन्त में मैं पुनः सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि तृतीय व चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने की नीति में सुधार करे. मकान भाड़ा भत्ता १५ प्रतिशत, चिकित्सा भत्ता रु० १६ ७० प्रतिमाह, एक सौ रुपया प्रतिवर्ष एक्स-ग्रेसिया बोनस का भुगतान, एक सौ प्रतिमाह १-३-७८ से अन्तरिम सहायता, चिकित्सा एवं मलेरिया कर्मचारियों का हड़ताल अवधि का वेतन, तमाम दमनात्मक कार्रवाइयों की वापसी, महासंघ के पदाधिकारियों का स्थानान्तरण एवं निलम्बन तथा बर्खास्तगी आदेश की वापसी कर सामान्य स्थिति कायम करे ताकि नये बिहार के निर्माण में कर्मचारी प्रेरित महसूस करें. यदि सरकार ने अपने फैसले में सुधार कर इसे लागू नहीं किया तो महासंघ अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ४ जनवरी को प्रदर्शन एवं १०-११ जनवरी, १९७९ को दो दिनों की सांकेतिक हड़ताल पर जाने को बाध्य होगा.

प्रस्तावित कार्यक्रमों में राज्य के पौने दो लाख प्राथमिक शिक्षक भी हड़ताल करेंगे.

बेरोजगारी की समस्या

[पृष्ठ तेरह से आगे]

भी प्रभावी कदम नहीं उठाया गया है. इसके विपरीत जनता सरकार जनता के एक वर्ग को दूसरे वर्ग से लड़ाने की कोशिश कर रही है. यह ऐसी नीतियां अपना रही है जिससे कम होने की बजाए बेरोजगारों की संख्या और बढ़ेगी.

हमारी समझ के मुताबिक बेरोजगारी की समस्या भूमि और पूंजी की मलकियत में बुनियादी बदलाव लाए बिना हल नही की जा सकती. भूस्वामियों और पूंजीपतियों के हितों की रक्षा करने वाली कोई भी सरकार इस बदलाव के हक में नहीं हो सकती. और जनता पार्टी भूस्वामियों व पूंजीपतियों का नेतृत्व करती हैं. इसलिए १० साल में बेरोजगारी खत्म करने की बात कह कर जनता सरकार जनता को भुलावा दे रही है.

यह समस्या तभी हल हो सकती है जब सरकार भूस्वामियों व पूंजीपतियों की बजाए देश के मजदूरों और किसानों के हितों की रक्षा करे तथा उनका नेतृत्व स्वीकार करे. ठीक ऐसा ही समाजवादी देशो में होता है. इसलिए वहां बेरोजगारी की समस्या भी नहीं होती.

केरल के रबड़ बागान मजदूरों की शानदार जीत

केरल के एक लाख से भी अधिक रबड़ बागान मजदूरों ने सीटू व अन्य यूनियनों के नेतृत्व में २० नवम्बर से ५ दिसम्बर १९७८ तक अपनी वेतन बढ़ौतरी की मांग को लेकर शानदार हड़ताल की. बागान मालिकों को मजदूरों की एकता और संघर्ष के आगे झुकना पड़ा. फैसले के मुताबिक सभी मजदूरों के दैनिक वेतन में एक रुपये की बढ़ोतरी कर दी गई है. निरीक्षक कर्मचारियों के भी मासिक मूल वेतन में २६ रुपये की बढ़ौतरी की गई है. समझौता वार्ता के दौरान दूसरी यूनियनें कम बढ़ौतरी के लिए भी तैयार थीं. लेकिन सीटू नेता इस पर अड़े रहे और मांगों के अनुसार वेतन वृद्धि होकर रही.

हरियाणा रंग उद्योग

[पृष्ठ तीन से आगे]

एक जनसभा आयोजित की गई जिसमें मजदूरों के अतिरिक्त भारी संख्या में किसानों ने भी भाग लिया. धीरे-धीरे आस-पास के गांवों के किसान मजदूरों के इस संघर्ष में मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं और इस क्षेत्र की जनता की हमदर्दी पूरी तरह मजदूरों के साथ है. लेकिन हरियाणा की 'जनता' सरकार प्रबन्धकों के खिलाफ कदम उठाने के लिए कतई तैयार नहीं है. मजदूरों का दृढ़ संकल्प है कि आखिरी सांस तक लड़ेंगे—लेकिन संगठन बनाने का अपना अधिकार नहीं छोड़ेंगे.

सम्पादक मंडल

बी टी रणदिवे (अध्यक्ष)

पी राममूर्ति — मनोरंजन राय

निरेन घोष — सुधिन कुमार

एम के पंधे (सम्पादक)

सीटू के हिन्दी प्रकाशन

१.	मजदूर मालिक सम्बन्ध और सरकार का असली चेहरा	(बी टी रणदिवे)	४० पैसे
२.	भारतीय ट्रेड यूनियन केन्द्र का संविधान		४० पैसे

सीटू के तीसरे सम्मेलन के दस्तावेज
(बम्बई, मई २१-२५, १९७५)

३.	अध्यक्षीय भाषण	(बी टी रणदिवे)	३० पैसे
४.	महासचिव की रिपोर्ट	(पी राममूर्ति)	३० पैसे
५.	संघर्षों की समीक्षा	(एम के पंधे)	३० पैसे
६.	संगठन तथा आंदोलनात्मक कार्यवाइयों की रिपोर्ट		४० पैसे

सीटू के दूसरे सम्मेलन के दस्तावेज
(एर्नाकुलम, अप्रैल १८-२२, १९७३)

७.	सभापति का भाषण	(बी टी रणदिवे)	२० पैसे
८.	साधारण रिपोर्ट	(पी राममूर्ति)	३० पैसे
९.	कार्य विवरण		४० पैसे
१०.	प्रस्ताव		३० पैसे

सीटू के पहले सम्मेलन का दस्तावेज
(कलकत्ता, मई २८-३०, १९७०)

११.	संयुक्त ट्रेड यूनियन आंदोलन की नयी दिशा	(बी टी रणदिवे)	४० पैसे

रेल कर्मचारी

१२.	भारतीय रेल कर्मचारी संघर्ष की राह पर	(नृसिंह चक्रवर्ती)	३० पैसे
१३.	तृतीय वेतन आयोग तथा रेल कर्मचारी	(नृसिंह चक्रवर्ती)	२० पैसे

मिलने का पता :
सी आई टी यू का केन्द्रीय कार्यालय,
६, तालकटोरा रोड,
नई दिल्ली-११०००१

सीटू के राज्य सम्मेलन

उत्तर प्रदेश	२२-२३-२४ फरवरी	बरेली
उड़ीसा	२-३-४ मार्च	झारसागुडा
आसाम	९-१०-११ मार्च	अभी निश्चित होना है
गुजरात	१०-११ मार्च	अहमदाबाद
केरल	१६-१७-१८ मार्च	कोट्टायम
महाराष्ट्र	१६-१७-१८ मार्च	नागपुर
हिमाचल प्रदेश	२४-२५ मार्च	शिमला

एम के पंधे द्वारा भारतीय ट्रेड यूनियन केन्द्र के लिए ६, तालकटोरा रोड, नई दिल्ली-११०००१ से प्रकाशित और प्रोग्रेसिव प्रिंटर्स, १, लारेंस रोड, रामपुरा, नई दिल्ली-११००३५ से मुद्रित